

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की क्रियान्वयन

परिशिष्ट 11 में 17 बिन्दु निम्नानुसार

नरसिंहपुर वनमंडल (म.प्र.)

1.	संगठन कार्यो एवं कर्तव्यों का विवरण	नरसिंहपुर वनमंडल के अंतर्गत 04 उप वनमंडल, 06 परिक्षेत्र (सामान्य), 01 काष्ठागार डिपो, 05 परिक्षेत्र (उत्पादन) है।
2.	अधिकारियों एवं कर्मचारियों का कर्तव्य तथा अधिकार	1. परिक्षेत्र अधिकारी (सामान्य) द्वारा अपने परिक्षेत्र के अंतर्गत वनों की सुरक्षा, अवैध उत्खनन एवं वन्य प्राणियों के अवैध शिकार, अवैध अतिक्रमण तथा विभागीय कार्यो पर नियंत्रण रखना है। 2. परिक्षेत्र सहायक (उप वनक्षेत्रपाल/वनपाल) द्वारा अपने अधिनस्थ वृत्त के परिसरों पर नियंत्रण रखना। 3. परिसर रक्षक (वनरक्षक) द्वारा अपने परिसर में अवैध कटाई, अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन पर नियंत्रण रखना। 4. वनक्षेत्रपाल (काष्ठागार अधिकारी) का काष्ठागार में आवक वनोपज का नापजोख का रिकार्ड रखना तथा नीलाम द्वारा वनोपज का निर्वतन करना। 5. वनक्षेत्रपाल (परिक्षेत्र अधिकारी उत्पादन) द्वारा ड्यू कूप में मार्किंग कार्य एवं लांगिंग कार्य करवाना तथा कूप से वनोपज काष्ठागार परिवहन कराने का दायित्व है।
3.	निर्णय लेने की प्रक्रिया जिसमें पर्यावेक्षण तथा लेखा-जोखा शामिल है।	सहायक वन संरक्षक (उप वनमंडलाधिकारी) द्वारा अपने उप वनमंडल के अंतर्गत कराये गये विभागीय कार्यो का पर्यावेक्षण कर लेखा-जोखा का सत्यापन उपरान्त वनमंडल कार्यालय में प्रतिमाह प्रेषित किया जाना है। वनमंडल स्तर पर लेखा संकलित कर महालेखाकार ग्वालियर को प्रतिमाह प्रेषित किया जाता है।
4.	कर्तव्यों के निर्वाहन के लिए तय किये गये मापदण्ड।	मध्यप्रदेश सूचना क अधिकार के अंतर्गत मापदण्ड निर्धारित है।
5.	कर्मचारियों के लिए उनके कर्तव्यों के निर्वाहन के लिए नियम, विनियमन निर्देश, मैनुअल तथा अभिलेख संधारित किये गये है।	हाँ, कर्मचारियों के लिए उनके कर्तव्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनियमन, निर्देश, मैनुअल तथा अभिलेख संधारित है।
6.	नियंत्रण में रखे गये दस्तावेजों का क्रमबद्ध प्रपत्र	नियंत्रण में रखे गये दस्तावेजों का विवरण निम्नानुसार है :- 1. कर्मचारियों के सेवा अभिलेख 2. कर्मचारियों के जी.पी.एफ./डी.पी.एफ. पासबुक 3. वेतन देयक पंजी 4. केशबुक 5. गोपनीय चरित्रावली
7.	इसके प्रबंधन तथा नीति निर्धारण के बारे में जन संधारण विचार विर्मश या उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार के लिए की गई व्यवस्था	विषयांतर्गत अपर वनमंडलाधिकारी नरसिंहपुर उप वनमंडल को जन साधारण से विचार विर्मश एवं अभ्यावेदनों पर त्वरित कार्यवाही के लिए अधिकृत किया गया है।
8.	दो या दो बोर्ड कौंसिल कमेटी अन्य निकाय जिनका गठन सलाह किया गया है और क्या ये कौंसिल कमेटी या अन्य निकाय के बैठकें जन साधारण के लिए सुलभ है आर क्या इनकी कार्यवाही जनता को उपलब्ध होती है।	लागू नहीं है।
9.	इसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची निम्नानुसार है <u>दूरभाष क्रमांक</u> <u>अधिकारी का पदनाम</u> 07792-230624 (का.) वनमंडलाधिकारी, नरसिंहपुर 07792-230457 (नि.) वनमंडलाधिकारी, नरसिंहपुर

10.	इसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मिलने वाला मानदेय, जिसमें नियमों में प्रावधानित मुआवजा भी शामिल है।	लागू नहीं है।																				
11.	इसकी प्रत्येक ऐजेन्सी को दिये जाने वाला बजट जिसमें प्लान प्रस्तावित व्यय तथा किया गया भुगतान का प्रतिवेदन शामिल है।	लागू नहीं है।																				
12.	अनुदान कार्य(ओं) के क्रियान्वयन की प्रणाली, जिसमें प्रावधानित राशि तथा ऐसे कार्यक्रमों में संभावित हितग्राहियों का विवरण हो।	लागू नहीं है।																				
13.	रियायत परमिट या अधिकार पत्र जो प्रदाय किये गये हैं, उनका विवरण	रियायत परमिट बाढ़ पीड़ितों को वर्ष 2005 में निम्न आवेदकों को निशुल्क प्रदाय किये गये हैं। <table border="1"> <thead> <tr> <th>परमिट क्रमांक</th> <th>आवेदक का नाम</th> <th>प्रदाय बांस</th> <th>सामग्री बल्ली</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3/40</td> <td>श्रीमति सुशीलाबाई सा. पिठहरा</td> <td>20</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>3/41</td> <td>श्री बाबूलाल मेहरा सा. अमथनू एवं 04 अन्य</td> <td>150</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>3/42</td> <td>श्री वीरेन्द्र लोधी सा. ठेमी एवं 03 अन्य</td> <td>120</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>3/43</td> <td>श्री बसोरी यादव सा. बेलखेड़ी</td> <td>10</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>	परमिट क्रमांक	आवेदक का नाम	प्रदाय बांस	सामग्री बल्ली	3/40	श्रीमति सुशीलाबाई सा. पिठहरा	20	50	3/41	श्री बाबूलाल मेहरा सा. अमथनू एवं 04 अन्य	150	250	3/42	श्री वीरेन्द्र लोधी सा. ठेमी एवं 03 अन्य	120	200	3/43	श्री बसोरी यादव सा. बेलखेड़ी	10	50
परमिट क्रमांक	आवेदक का नाम	प्रदाय बांस	सामग्री बल्ली																			
3/40	श्रीमति सुशीलाबाई सा. पिठहरा	20	50																			
3/41	श्री बाबूलाल मेहरा सा. अमथनू एवं 04 अन्य	150	250																			
3/42	श्री वीरेन्द्र लोधी सा. ठेमी एवं 03 अन्य	120	200																			
3/43	श्री बसोरी यादव सा. बेलखेड़ी	10	50																			
14.	इसके पास उपलब्ध जानकारियों का विवरण जिसे इलेक्ट्रानिक प्रपत्र में बनाया गया।	निम्न जानकारियों का विवरण इलेक्ट्रानिक प्रपत्र में बनाया गया है। <ol style="list-style-type: none"> कर्मचारियों के मासिक वेतन फारेस्ट प्रोटेक्शन मानीटरिंग सिस्टम न्यायालयीन प्रकरणों का मासिक पत्रक स्थाई/अस्थाई अमान्य प्रमाणक सिटीजन एवं सूचना का अधिकार मासिक लेखा (आय-व्यय) फार्म नं. 07 का मासिक पत्रक वनमंडल के अंतर्गत विभिन्न जानकारियाँ 																				
15.	जन साधारण को जानकारियां प्राप्त करने के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध है लायब्रेरी रिडिंग रूम के कार्य के घन्टे यदि वे कार्यरत होतो	मध्यप्रदेश सूचना के अधिकार विधेयक 1997 के अभिलेख जिन की सत्यप्रतिलिपि आम जनता को उपलब्ध करायी जा सकती है परिशिष्ट 1 एवं 2 में संलग्न है। जहां केवल अभिलेखों का अवलोकन किया जावेगा वहां प्रतिघन्टा रूपय 20/- शुल्क लिया जावेगा। 1 घन्टे से कम अवधि को 1 घन्टा माना जावेगा। जहां अभिलेख की प्रति उपलब्ध करायी जावेगी वहां ए 4 आकार के प्रत्येक पृष्ठ हेतु 2/- रूपये शुल्क लिया जावेगा। इसके बड़े आकार पृष्ठ के लिए 4/- रूपये प्रतिपृष्ठ शुल्क लिया जावेगा।																				
16.	जन सम्पर्क अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण	इस वनमंडल में आम जनता की शिकायत एवं समस्याओं का निराकरण हेतु श्री आर.के.तिवारी अपर वनमंडलाधिकारी नरसिंहपुर उपवनमंडल एवं श्री जुगल किशोर पटैल, सहायक ग्रेड-3 वनमंडल कार्यालय नरसिंहपुर को नामांकित किया गया है।																				
17.	अन्य जानकारियां निर्धारित की जावेगी।	निरंक																				

वनमंडल अधिकारी
नरसिंहपुर वनमंडल (म.प्र.)